

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(8)नविवि / 2020

जयपुर, दिनांक:

123 SEP 2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :—

“भू-उपयोग परिवर्तन संबंधित ऐसे समस्त प्रकरण जो कि दिनांक 31.12.2020 तक राज्य स्तरीय/स्थानीय स्तरीय समिति में प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके निर्णय जारी करने में कोरोनाकाल के कारण विलम्ब हुआ है, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क दिनांक 31.12.2020 से पूर्व प्रचलित आरक्षित दर के अनुसार ही देय होगी।”

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम